स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./05

दिनांक : 06-01-2023

–:: आदेश ::–

मैं **जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष,** राजस्थान विधि सेवा परिषद्, परिषद के संविधान के अनुच्छेद–7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की घोषणा एतदद्वारा निम्नवत् करता हूँ :–

–: कार्यकारिणी :–

वरिष्ठ उपाध्यक्ष	–	श्री प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी
उपाध्यक्ष	–	श्रीमती आशा शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी
महासचिव	–	श्री सुरेश चन्द शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी
सचिव	–	श्री विभात सींवर, वरिष्ठ विधि अधिकारी
संयुक्त सचिव	–	श्री रमेश बुनकर, कनिष्ठ विधि अधिकारी
कोषाध्यक्ष	–	श्री विजय कुमार जैन, संयुक्त विधि परामर्शी
सह–कोषाध्यक्ष	–	श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ विधि अधिकारी
प्रवक्ता	–	श्री सुनील मुवाल, वरिष्ठ विधि अधिकारी

–: सदस्यगण :–

1. मौ0 जाहिद रशीद, उप विधि परामर्शी
2. सुश्री शालिनी मित्रुका, वरिष्ठ विधि अधिकारी
3. श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ विधि अधिकारी
4. श्री शफक्कत आलम, कनिष्ठ विधि अधिकारी
5. श्री पूनमा राम, कनिष्ठ विधि अधिकारी
6. श्री रामनिवास मीना, कनिष्ठ विधि अधिकारी
7. श्री दीपेश कुमार बैंसला, कनिष्ठ विधि अधिकारी

–: संभागीय पदाधिकारीगण :–

संभाग का नाम	उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव
जयपुर	श्री अशोक गुप्ता, व0सं0वि0प0	श्री विराट कुमार, व0वि0अ0	श्री प्रिंस जैमन, व0वि0अ0

06/01/2023

जोधपुर	श्री जगदीश प्रसाद सोनी, सं0वि0प0	मौ0 आदिल खान मोयल, क0वि0अ0	श्री दिनेश सिंह चारण, व0वि0अ0
अजमेर	श्री कमल विश्नोई, सं0वि0प0(अति0 चार्ज)	श्री सज्जन लाल कड़ेला, व0वि0अ0	श्री नरेश मटाई, व0वि0अ0
कोटा	श्री चन्द्रशेखर शर्मा, उ0वि0प0(अति0 चार्ज)	श्रीमती सपना वर्मा, व0वि0अ0	श्रीमती सपना वर्मा, (अति0 चार्ज)
बीकानेर	श्री गिरधारी लाल जाखड़, सं0वि0प0(अति0 चार्ज)	श्री पवन चावला उ0वि0प0	श्री पवन विश्नोई व0वि0अ0
उदयपुर	श्री कमल विश्नोई, सं0वि0प0	श्री शंकर सिंह देवडा, उ0वि0प0	श्रीमती खुशबू चौबीसा, व0वि0अ0
भरतपुर	श्री चन्द्रशेखर शर्मा, उ0वि0प0	श्री सत्यभान सिंह हाड़ा, व0वि0अ0	श्री निशकला सैनी, क0वि0अ0

नोट :– *कार्यकारिणी की बैठक के एजेण्डे को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित होने हेतु राजस्थान विधि सेवा परिषद के किसी भी सदस्य को **'विशेष आमंत्रित सदस्य'** के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।*

06/01/2023

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशेषाधिकारी, महामहिम, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

Richa Tomar(W) 2362081

7. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव/संयुक्त शारान सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक/प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
11. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अध्यक्ष/महामंत्री, सचिवालय विधि रचना संघ/राजस्थान सचिवालय फोरम, जयपुर।
13. अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान सचिवालय, सेवा अधिकारी संघ/सचिवालय निजी सचिव/अति0 निजी सचिव सेवा संघ/सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ/राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी संघ, अजमेर।
14. महासचिव, राजस्थान राज्य राजपत्रित अधिकारी सेवा महासंघ, जयपुर।
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. अध्यक्ष/महासचिव, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ, जयपुर।
17. सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर को प्रकाशनार्थ।
18. Etv Rajasthan/Zee News Rajasthan/First India को प्रसारणार्थ।
19. नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. अध्यक्ष, राज. हाईकोर्ट बार ऐसासियेशन/जिला बार एसोसियेशन, जयपुर।

06/11/2023

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./06

दिनांक : 06-01-2023

–:: आदेश ::–

राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद–3 में उल्लेखित उद्देश्यों की प्रभावी ढ़ंग से पूर्ति हेतु, मैं जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद, एक परामर्श मण्डल तथा विभिन्न प्रकोष्ठों की का गठन एतद्द्वारा निम्नवत् करता हूँ :–

–: परामर्श मण्डल :–

1. श्री हारून अली वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	2. श्री महेन्द्र सिंह बिडियासर वरि0 संयुक्त विधि परामर्शी
3. श्री हरीश कुमार शर्मा वरि0 संयुक्त विधि परामर्शी	4. श्री हरदयाल सिंह ढ़ाका संयुक्त विधि परामर्शी
5. श्री छैलबिहारी अग्रवाल संयुक्त विधि परामर्शी	6. श्री उत्तम सिंह संयुक्त विधि परामर्शी
8. श्री उमेन्द्र कुमार गोयल संयुक्त विधि परामर्शी	8. श्री सुनील कुमार राघव संयुक्त विधि परामर्शी
9. श्री रमेश कुमार मालपानी उप विधि परामर्शी	10. श्री महेश कुमार गोयल उप विधि परामर्शी
11. श्री उगमाराम उप विधि परामर्शी	12. कु0 विमला रामावत उप विधि परामर्शी
13. श्री सुब्रत सान्याल उप विधि परामर्शी	14. श्रीमती जयश्री मीणा, उप विधि परामर्शी
15. श्री महेश चन्द्र यादव उप विधि परामर्शी	16. श्री अरूण कुमार शर्मा उप विधि परामर्शी
17 श्री गजेन्द्र सिंह उप विधि परामर्शी	18 श्री चन्दशेखर व्यास सहायक विधि परामर्शी

–: महिला प्रकोष्ठ :–

1. श्रीमती आशा शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी – उपाध्यक्ष
2. श्रीमती रानू चौधरी, वरिष्ठ विधि अधिकारी – सदस्य

06/01/2023

3.	श्रीमती पूनम कुमारी गुप्ता, वरिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
4.	सुश्री शालिनी मित्रुका, वरिष्ठ विधि परामर्शी	–	सदस्य
5.	श्रीमती दिशा फौजदार, वरिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
6.	श्रीमती शालिनी पाण्ड़ेय, वरिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
7.	श्रीमती रेणु, वरिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
8.	श्रीमती विधि जोशी, वरिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
9.	श्रीमती संतोष यादव, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
10.	श्रीमती मोनिका शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
11.	कु0 नुपुर जोशी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
12.	श्रीमती निशकला सैनी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
13.	श्रीमती व्योमा चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
14.	सुश्री संगीता सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
15.	सुश्री पूजा कुंडलवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
16.	सुश्री मनीषा मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य

–: विदाई समारोह प्रकोष्ठ :–

1.	श्री विजय कुमार जैन, संयुक्त विधि परामर्शी	–	उपाध्यक्ष
2.	श्री विभात सींवर, वरिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
3.	श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
4.	श्री अनुराग चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
5.	श्री शफक्कत आलम, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य

–: खेल प्रकोष्ठ :–

1.	श्री विभात सींवर, वरिष्ठ विधि अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
2.	श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
3.	श्री गौरव चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
5.	श्री मौ0 शाकिरदीन, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
6.	श्री शफक्कत आलम, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
7.	श्री मौ0 शारिक, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
8.	श्री रामनिवास मीना, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य

06/01/2023

9. श्री अनुराग चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी – सदस्य
10. सुश्री संगीता सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी – सदस्य

–: वेबसाईट एवं मुद्रण प्रकोष्ठ :–

1. श्री महेश चन्द्र यादव, उप विधि परामर्शी – उपाध्यक्ष
2. श्री विभात सींवर, वरिष्ठ विधि अधिकारी – सदस्य
3. श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ विधि अधिकारी – सदस्य
4. श्री सुनील मुवाल, वरिष्ठ विधि अधिकारी – सदस्य

नोट :– परिषद के अध्यक्ष, समस्त प्रकोष्ठों के पदेन अध्यक्ष होंगे। प्रस्तावित एजेण्डे के परिप्रेक्ष्य में अध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकोष्ठ की बैठक में उपस्थित होने हेतु, राजस्थान विधि सेवा परिषद के किसी भी माननीय सदस्य को **'विशेष आंमत्रित सदस्य'** के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

06/01/2023

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशेषाधिकारी, महामहिम, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव/संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक/प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।

11. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अध्यक्ष/महामंत्री, सचिवालय विधि रचना संघ/राजस्थान सचिवालय फोरम, जयपुर।
13. अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान सचिवालय, सेवा अधिकारी संघ/सचिवालय निजी सचिव/अति0 निजी सचिव सेवा संघ/सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ/राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी संघ, अजमेर।
14. महासचिव, राजस्थान राज्य राजपत्रित अधिकारी सेवा महासंघ, जयपुर।
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. अध्यक्ष/महासचिव, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ, जयपुर।
17. सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर को प्रकाशनार्थ।
18. Etv Rajasthan/Zee News Rajasthan/First India को प्रसारणार्थ।
19. नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. अध्यक्ष, राज. हाईकोर्ट बार ऐसासियेशन/जिला बार एसोसियेशन, जयपुर।

06/01/2023

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./08

दिनांक : 18/01/2023

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

राजस्थान सरकार,

शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा संवर्ग के अधिकारियों को परिषद द्वारा वांछित वेतनमान प्रदान किये जाने के संबंध में।

मान्यवर,

राज्य में विधि सेवा के अधिकारीगण द्वारा, समस्त विधिक प्रकरणों का परीक्षण करना, विधिक राय देना, नये अधिनियम व नियम बनाना/संशोधन करना तथा वादकरण संबंधी समस्त मामलों की मॉनिटेरिंग करना इत्यादि अति महत्वपूर्ण प्रकृति के कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन किया जा रहा है। विधि स्नातक व्यावसायिक योग्यता रखने वाली उक्त सेवा, विधि विशेषज्ञ सेवा के रूप में राज्य सरकार के दैनिक कियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।

विधि सेवा की शैक्षणिक योग्यता एवं उसके कर्त्तव्यों को देखते हुए, विधि सेवा को वर्तमान में प्रदत्त वेतनमान अत्यंत कम हैं। अतः विधि सेवा के अधिकारीगण को परिषद द्वारा वांछित वेतनमान प्रदान किया जाना, पूर्णतः न्यायसंगत है।

उक्त संबंध में निम्न बिन्दु विशेष रूप से विचारणीय हैं :–

1. राज्य सरकार द्वारा विधि सेवा के अधिकारियों को उक्त वांछित वेतनमान दिये जाने हेतु पूर्व में ही दो बार सिफारिश की जा चुकी है :–
   (i) राज्य सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.12.2017 को।
   (ii) मुख्य सचिव महोदय के निर्देश पर गठित कमेटी द्वारा दिनांक 30.05.2018 को।

18/01/2023

9/C

2. विधि सेवा के गठन के समय इस सेवा के सभी पद राजपत्रित पद थे, किन्तु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989 में संशोधन कर, सेवा के प्रथम पद को अधीनस्थ सेवा में परिवर्तित कर, उसका वेतनमान कम कर दिया गया।
3. सेवा के एकमात्र भर्ती पद कनिष्ठ विधि अधिकारी का वर्तमान वेतनमान (ग्रेड़ पे–3600), संपूर्ण भारतवर्ष में विधि स्नातक योग्यता के किसी भी सेवा पद से कम है।
4. विधि सेवा का एकमात्र सर्वोच्च पद ही चतुर्थ पे–बैण्ड़ मे होने के कारण, विशेषज्ञ सेवा होने के बावजूद भी, अधिकांश विधि अधिकारीगण तृतीय पे–बैण्ड़ में ही सेवानिवृत्त होने को मजबूर हैं।
5. विधि सेवा में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी का अकेला पद ही चतुर्थ पे–बैण्ड़ में है, जबकि व्यावसायिक स्नातक ड़िग्री योग्यता वाली अन्य सभी सेवाओं, यथा अभियांत्रिकी सेवा, चिकित्सा सेवा, आर्किटैक्चर सेवा इत्यादि में अंतिम दो पद वेतनमान के चतुर्थ पे–बैण्ड़ में हैं।
6. जहॉ अन्य अनेक राज्य सेवाओं, यथा प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, कॉलेज शिक्षा सेवा इत्यादि के समस्त अधिकारीगण लम्बे समय तक चतुर्थ पे–बैण्ड़ में सेवा करते हैं, वहीं विधि सेवा के अधिकांश अधिकारीगण चतुर्थ पे–बैण्ड़ प्राप्त किये बिना ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
7. राज्य में विधि सेवा एवं विधि रचना सेवा का गठन वर्ष 1981 में एकसाथ किया गया। गठन के समय से ही दोनों सेवाओं के वेतनमान लम्बे समय तक समान रहे हैं, किन्तु विधि सेवा के कर्त्तव्य एवं सेवा शर्तें जटिल होने के बावजूद भी, अब उसका वेतनमान विधि रचना सेवा से कम है।
8. राज्य में विधि सेवा के अधिकारीगण का वर्तमान वेतनमान, केन्द्र में विधि सेवा के समकक्ष अधिकारीगण को मिल रहे वेतनमान से भी कम है।
9. विधि सेवा के 651 पदों के कुल कैड़र में वर्तमान में 242 पद रिक्त हैं, जिनमें से लगभग 100 पद पदोन्नति से भरे जाने वाले वरिष्ठ पद हैं, जिन्हें लम्बे समय तक भरा जाना संभव नहीं है, अतः उक्त वांछित वेतनमान प्रदान करने में राज्य सरकार पर पड़ने वाला वास्तविक वित्तीय भार अत्यंत कम रहेगा।

18/01/2023

OC

परिषद द्वारा कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति के समक्ष भी अपना पक्ष रखकर, उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

चूंकि विधि सेवा हेतु, वांछित उक्त वेतनमान स्वीकृत किये जाने बावत, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दो बार अभिशंषा की जा चुकी है तथा राज्य में विधि सेवा के समकक्ष सेवा, 'विधि रचना सेवा' एवं केन्द्र में विधि सेवा समकक्ष 'केन्द्रीय विधि सेवा' को पहले से ही यह वेतनमान प्राप्त हैं, अतः विधि सेवा अधिकारीगण को, परिषद द्वारा वांछित निम्नवत वेतनमान प्रदान कर अनुग्रहीत करें :–

कमांक	पद	ग्रेड़ पे	विधि विभाग एवं समिति द्वारा अनुशंषित व परिषद द्वारा वांछित वेतनमान
1	कनिष्ठ विधि अधिकारी	PB-2 ग्रेड़ पे 3600 (L–10)	PB-2 ग्रेड़ पे 4200 (L–11)
2	वरिष्ठ विधि अधिकारी	PB-2 ग्रेड़ पे 4800 (L–12)	PB-3 ग्रेड़ पे 5400 (L–14)
3	सहायक विधि परामर्शी	PB-3 ग्रेड़ पे 6000 (L–15)	PB-3 ग्रेड़ पे 6600 (L–16)
4	उप विधि परामर्शी	PB-3 ग्रेड़ पे 7200 (L–18)	PB-3 ग्रेड़ पे 7600 (L–19)
5	संयुक्त विधि परामर्शी	PB-3 ग्रेड़ पे 8200 (L–18)	PB-4 ग्रेड़ पे 8700 (L–21)
6	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	PB-4 ग्रेड़ पे 8700 (L–21)	PB-4 ग्रेड़ पे 9500 (L–23)

विधि सेवा परिषद सदैव आपकी आभारी रहेगी।

भवदीय,

18/01/2023

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष,
राजस्थान विधि सेवा परिषद

9/C

F 22(8) विधि/17

टिप्पणी (क्रमिक)

रा.सं.2

आवती संख्या

विचाराधीन पत्र का पृष्ठ 1–17/सी पर अवलोकन करे। राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर ने माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

2 माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय ने ज्ञापन में पृष्ठ–5/सी में मार्क–'ए' पर दर्शित ग्रेड पे के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक टिप्पणी अनुच्छेद–1/एन से चाही है। राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर ने अपने ज्ञापन में निवेदन किया है कि राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुए वादों के सुचारू संचालन/निस्तारण एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए डॉ. एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति की अभिशंसा पर राजस्थान विधि सेवा का गठन किया गया है। इसमें कनिष्ठतम पद कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि सहायक) का है, जिसका वेतनमान पूर्व में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक पंजीयक, सहकारिता व रोजगार विनिमय अधिकारी के समकक्ष मानते हुए वेतन की अभिशंसा की गई थी, परन्तु इस अभिशंस के अनुरूप वेतनमान स्वीकृत नहीं करके उससे कमतर सेवाओं के पद के समान वेतनमान स्वीकृत किया गया, जिसका विवरण पृष्ठ–3/सी पर अवलोकनीय है।

3 वर्तमान में विधि के अधिकारी सेवा के गठन के उद्देश्यों से भी अधिक अपेक्षा से कार्य सम्पादन कर रहे है, जिससे विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, राजकीय उपक्रम एवं स्थानीय निकाय आदि लाभान्वित हो रहे है। विधि सेवा के अधिकारीगण द्वारा वादकरण संबंधी कार्य, उनका परीक्षण व परामर्श तथा विधायी प्रारूपण संबंधी कार्य किया जाता है, इसके अलावा लाईट्स की वेबसाईट का संधारण, विधिक राय हेतु प्राप्त पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या आदि का कार्य किया जाता है।

विधि सेवा के वेतनमान पांचवे वेतनमान के समय कई सेवाओं के मुकाबले उच्च वतनमान प्रदान किया गया था। छठे वेतन आयोग के समय इस सेवा के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले कम वेतनमान दिया गया है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता तकनीकी विशेषज्ञता की है। इसीलिए निम्नानुसार वेतनमान दिये जाने हेतु विधि सेवा परिषद ने मांग की है:–

क्र. सं.	पद	वर्तमान वेतनमान मय ग्रेड–पे	वांछित वेतनमान मय ग्रेड–पे
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (3600/– ग्रेड पे)	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे)
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	9300–34800 (4800/– ग्रेड पे)	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे)
3.	सहायक विधि परामर्शी	15600–39100 (6000/– ग्रेड पे)	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जारी प्रमाणित प्रति

ज.–1488–4,00,000–2017

प 22(8) ~~~~/17

डायरी संख्या

टिप्पणी (क्रमिक)

क्र. सं.	पद	वर्तमान वेतनमान मय ग्रेड–पे	वांछित वेतनमान मय ग्रेड–पे
4.	उप विधि परामर्शी	15600–39100 (7200/– ग्रेड पे)	15600–39100 (7600/– ग्रेड पे)
5.	संयुक्त विधि परामर्शी	15600–39100 (8200/– ग्रेड पे)	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे)
6.	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे)	37400–67000 (9500/– ग्रेड पे)

5 उपरोक्त विवरण के आधार पर विधि विभाग की अभिशंसा के साथ वित्त विभाग को 7वें वेतन आयोग की कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

6 पृष्ठ–1/सी के संदर्भ में अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

8/9

विशेषाधिकारी

08.09.17

संयुक्त शासन सचिव

08/9/17

प्रमुख शासन सचिव

(मनोज कुमार व्यास)

प्रमुख शासन सचिव

माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय

Pr. Sec.

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग

12/09/17

(मनोज कुमार व्यास)

00528/PLS/17
11/09/17
13

5699/PLS/17
11/9/17

2328/...
11/09/17
12/09/17

Sh. ...
14/09/2017

FS/B...
13/9

13/9
JS(R...
13/09/201..
AS

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जारी प्रमाणित प्रति
ACS, Finance
1017049221
14 SEP 2017
29

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(8)न्याय/17 पार्ट जयपुर, दिनांक 30.5.18

सदस्य सचिव
श्री डी.सी. सामन्त कमेटी
वित्त भवन, जयपुर।

विषयः–विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने के संबंध में विधि सेवा परिषद की सुनवाई कर विभागीय अनुशंसा भेजे जाने बाबत्।

संदर्भः–कार्मिक (क–5) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.14(17)कार्मिक/क–5/2017 पार्ट दिनांक 22.05.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.05.2018 के क्रम में विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2018 को अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद ने विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने हेतु अभ्यावेदन की प्रति दिनांक 23.11.2017 के क्रम में दिनांक 25.05.2018 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विभागीय अनुशंसा के साथ श्री डी.सी. सामन्त समिति के समक्ष विचारार्थ भिजवाने हेतु पुनः निवेदन किया है।

अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं पर उक्त समिति के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। अतः विधि विभाग की अभिशंसा के साथ श्री डी.सी. सामन्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

भवदीय

30.5.18

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTER-2018.docx

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./09

दिनांक : 18/01/2023

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः– पे–मैट्रिक्स में विद्यमान विसंगति एवं विभिन्न सेवाओं में व्याप्त भेदभाव को आगामी बजट में दूर करने बाबत्।

मान्यवर,

विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है, कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में स्थित पे मैट्रिक्स में पे बैण्ड–3 (15600–39100) में ग्रेड़ पे–6000 (L–15) एवं 7200 (L–18) में विसंगति विद्यमान है। राज्य में दो सेवाओं में ग्रेड़ पे 6000 से 7200 में पदोन्नति होती है, जो कि निम्नवत् है :–

(1) <u>राजस्थान विधि सेवा</u>

पद	पदोन्नति पद
सहायक विधि परामर्शी ग्रेड़ पे– 6000 (L–15)	उप विधि परामर्शी 7200 (L–18)

(2) <u>राजस्थान अभियोजन सेवा</u>

पद	पदोन्नति पद
सहायक निदेशक ग्रेड़ पे 6000 (L–15)	उप निदेशक ग्रेड़ पे 7200 (L–18)

उक्त पदों पर पदोन्नत अधिकारीगण का वेतनमान नियत करते समय ग्रेड़ पे 6000 से 7200 में फिक्सेशन करने पर मूल वेतन कम बनता है, जबकि निम्नतर ग्रेड़ पे 6600 में

18/01/2023

9c

फिक्सेशन करने पर मूल वेतन अधिक होता है। उक्त स्थिति निम्न सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है :–

Cell No.	ग्रेड़ पे 6000	ग्रेड़ पे 7200	ग्रेड़ पे 6600	कम मूल वेतन रूपये
(8)	74600	75300	75700	200
(9)	76800	77600	78000	400
(10)	79100	79900	80300	400
(11)	81500	82300	82700	400
(12)	83900	84800	85200	400
(13)	86400	87300	87800	500

उच्च ग्रेड़ पे–7200 में पदोन्नत होने पर अधिकारी का मूल वेतन अधिक होना चाहिए, किन्तु पे मैट्रिक्स में व्याप्त विसंगति के कारण, निम्नतर ग्रेड़ पे–6600 में काल्पनिक फिक्सेशन करने से भी रूपये 200 से 500 तक कम होता है। **अतः ग्रेड़ पे–7200 की सैल में अंकित राशि को बढ़ाते हुए, उक्त विसंगति को आगामी बजट में दूर करने का हेतु निवेदन है।**

शासन सचिवालय/मुख्यालय/निदेशालय में पदस्थापित उच्च अधिकारीगण को कार्यालय आवागमन हेतु प्राप्त गाड़ी की सुविधा के संबंध में राज्य में एकरूपता नहीं है। जहॉ निम्नतर ग्रेड़–पे के अधिकारियों को गाड़ी की सुविधा प्राप्त है, वहीं समान परिस्थितियों में ही पदस्थापित अन्य उच्च अधिकारीगण इस सुविधा से वंचित हैं। **अतः उक्त भेदभाव को दूर करने हेत, राज्य सरकार द्वारा शासन सचिवालय/मुख्यालय/निदेशालय में पदस्थापित एक निश्चित वेतनमान तक सभी अधिकारीगण को गाड़ी की सुविधा समान रूप से दिये जाने हेतु सामान्य निर्देश जारी करने बाबत बजट में घोषणा किये जाने का निवेदन है।**

राज्य में उच्च अधिकारीगण को टेलीफोन/मोबाइल/इन्टरनेट एवं अखबार की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में एकरूपता नहीं है। **अतः समस्त उच्च अधिकारीगण को टेलीफोन/मोबाइल/इन्टरनेट एवं अखबार की सुविधा प्रदान करने में एकरूपता लाने बाबत सामान्य निर्देश जारी किये जाने की घोषणा बजट में करने हेतु निवेदन है।**

राज्य में कार्मिकों की पदोन्नति उपरान्त, पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से ही पदोन्नति का वित्तीय लाभ प्राप्त होने के संबंध में विभिन्न सेवाओं में भेदभाव व्याप्त है। जहॉ कुछ सेवाओं में उक्त लाभ पदोन्नति आदेश जारी होते ही कार्यग्रहण कर प्राप्त हो जाते हैं, वहीं अन्य सेवाओं में उक्त लाभ पदस्थापन आदेश के बाद ही प्राप्त होते हैं, चाहे उनमें महिनों

18/01/2023

9/c

का समय लगे। **अतः राज्य में सभी कार्मिकों को पदोन्नति आदेश पर कार्यग्रहण करते ही वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकें, उक्त एकरूपता स्थापित करने हेतु सामान्य आदेश जारी किये जाने की घोषणा बजट में करने बाबत निवेदन है।**

सम्पूर्ण देश में विधि स्नातक योग्यता की किसी भी सेवा का वेतनमान ग्रेड़–पे–4200 से कम नहीं हैं। राज्य में विधि सेवा में भर्ती का एकमात्र पद, कनिष्ठ विधि अधिकारी, विधि स्नातक शैक्षणिक योग्यता होते हुए भी, ग्रेड़–पे–3600 में ही है। उक्त पद हेतु ग्रेड़–पे–4200 दिये जाने बाबत, मुख्य सचिव महोदय के निर्देश पर गठित समिति तथा विधि विभाग द्वारा पूर्व में अनुशंषा भी की जा चुकी है। **अतः कनिष्ठ विधि अधिकारी को वेतनमान ग्रेड़–पे–4200 देने हेतु घोषणा बजट में किये जाने बाबत निवेदन है।**

उक्त हेतु विधि सेवा परिषद सदैव आपकी आभारी रहेगी।

18/01/2023

संलग्न: पे मैट्रिक्स एवं विधि व अभियोजन सेवा वेतनमान।

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

Schedule-I

(Part 'B')

{Rule No. 5(vi) and (vii)}

Pay Matrix of State Government Servants

Existing Running Pay Band	PB-1 (5200-20200)										PB-2 (9300-34800)				PB-3 (15600-39100)							PB-4 (37400-67000)			
Existing Grade Pay	1700	1750	1900	2000	2400	2400	2400	2800	2800	3600	4200	4800	5400	5400	6000	6600	6800	7200	7600	8200	8700	8900	9500	10000
Existing Grade Pay No.	2	3	4	5	9	9A	9B	10	10A	11	12	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23A	24
Levels →	L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	L-8	L-9	L-10	L-11	L-12	L-13	L-14	L-15	L-16	L-17	L-18	L-19	L-20	L-21	L-22	L-23	L-24
Cell No.↓	Pay Matrix (Amount In. Rs.)																							
1	17700	17900	18200	19200	20800	21500	22400	26300	28700	33800	37800	44300	53100	56100	60700	67300	71000	75300	79900	88900	123100	129700	145800	148800
2	18200	18400	18700	19800	21400	22100	23100	27100	29600	34800	38900	45600	54700	57800	62500	69300	73100	77600	82300	91600	126800	133600	150200	153300
3	18700	19000	19300	20400	22000	22800	23800	27900	30500	35800	40100	47000	56300	59500	64400	71400	75300	79900	84800	94300	130600	137600	154700	157900
4	19300	19600	19900	21000	22700	23500	24500	28700	31400	36900	41300	48400	58000	61300	66300	73500	77600	82300	87300	97100	134500	141700	159300	162600
5	19900	20200	20500	21600	23400	24200	25200	29600	32300	38000	42500	49900	59700	63100	68300	75700	79900	84800	89900	100000	138500	146000	164100	167500
6	20500	20800	21100	22200	24100	24900	26000	30500	33300	39100	43800	51400	61500	65000	70300	78000	82300	87300	92600	103000	142700	150400	169000	172500
7	21100	21400	21700	22900	24800	25600	26800	31400	34300	40300	45100	52900	63300	67000	72400	80300	84800	89900	95400	106100	147000	154900	174100	177700
8	21700	22000	22400	23600	25500	26400	27600	32300	35300	41500	46500	54500	65200	69000	74600	82700	87300	92600	98300	109300	151400	159500	179300	183000
9	22400	22700	23100	24300	26300	27200	28400	33300	36400	42700	47900	56100	67200	71100	76800	85200	89900	95400	101200	112600	155900	164300	184700	188500
10	23100	23400	23800	25000	27100	28000	29300	34300	37500	44000	49300	57800	69200	73200	79100	87800	92600	98300	104200	116000	160600	169200	190200	194200
11	23800	24100	24500	25800	27900	28800	30200	35300	38600	45300	50800	59500	71300	75400	81500	90400	95400	101200	107300	119500	165400	174300	195900	200000
12	24500	24800	25200	26600	28700	29700	31100	36400	39800	46700	52300	61300	73400	77700	83900	93100	98300	104200	110500	123100	170400	179500	201800	206000
13	25200	25500	26000	27400	29600	30600	32000	37500	41000	48100	53900	63100	75600	80000	86400	95900	101200	107300	113800	126800	175500	184900	207900	212200
14	26000	26300	26800	28200	30500	31500	33000	38600	42200	49500	55500	65000	77900	82400	89000	98800	104200	110500	117200	130600	180800	190400	214100	218600
15	26800	27100	27600	29000	31400	32400	34000	39800	43500	51000	57200	67000	80200	84900	91700	101800	107300	113800	120700	134500	186200	196100		
16	27600	27900	28400	29900	32300	33400	35000	41000	44800	52500	58900	69000	82600	87400	94500	104900	110500	117200	124300	138500	191800	202000		
17	28400	28700	29300	30800	33300	34400	36100	42200	46100	54100	60700	71100	85100	90000	97300	108000	113800	120700	128000	142700	197600	208100		
18	29300	29600	30200	31700	34300	35400	37200	43500	47500	55700	62500	73200	87700	92700	100200	111200	117200	124300	131800	147000	203500			
19	30200	30500	31100	32700	35300	36500	38300	44800	48900	57400	64400	75400	90300	95500	103200	114500	120700	128000	135800	151400				
20	31100	31400	32000	33700	36400	37600	39400	46100	50400	59100	66300	77700	93000	98400	106300	117900	124300	131800	139900	155900				

S. No.	NAME OF THE POST	EXISTING				LEVEL IN PAY MATRIX	REMARKS
		PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY NO	GRADE PAY		
1	2	3	4	5	6	7	8
	LAW DEPARTMENT						
	(I) Rajasthan Legal Service						
1	Sr Legal Office	PB-2	9300-34800	14	4800	L-12	
2	Asstt. Legal Draftsman / Asstt. Legal Remembrancer	PB-3	15600-39100	16	6000	L-15	
3	Deupty Legal Remembrancer	PB-3	15600-39100	19	7200	L-18	
4	Joint Legal Remembrancer	PB-3	15600-39100	21	8200	L-20	
5	Senior Joint Legal Remembrancer	PB-4	37400-67000	22	8700	L-21	
	(ii) Rajasthan Legal Subordinate Service						
1	Junior Legal Officer	PB-2	9300-34800	11	3600	L-10	
	(iii) Other Posts						
1	Assistant Librarian Government Advocate Office	PB-2	9300-34800	11	3600	L-10	
	LOKAYUKTA SACHIVALAYA						
1	Section Officer	PB-2	9300-34800	14	4800	L-12	
2	Assistant Secretary	PB-3	15600-39100	17	6600	L-16	
3	Private Secretary to Lokayukta / Secretary Lokayukta	PB-3	15600-39100	17	6600	L-16	
4	Assistant Librarian	PB-2	9300-34800	14	4800	L-12	
	MAN POWER DEPARTMENT						
1	Compiler / Computer	PB-1	5200-20200	10	2800	L-8	
2	Investigator	PB-2	9300-34800	11	3600	L-10	
3	Statistical Assistant / Research Assistant	PB-2	9300-34800	12	4200	L-11	
4	Statistical Officer	PB-2	9300-34800	14	4800	L-12	
	MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT						
	(I) Rajasthan Medical & Health Service						
1	Lecturer, College of Nursing	PB-2	9300-34800	14	4800	L-12	
2	Medical Officer	PB-3	15600-39100	15	5400	L-14	
3	Senior Lecturer, College of Nursing	PB-3	15600-39100	15	5400	L-14	
4	Principal, College of Nursing	PB-3	15600-39100	16	6000	L-15	
5	Senior Medical Officer / Dy. C.M.H.O (FW.) / Health / Malaria	PB-3	15600-39100	17	6600	L-16	
6	Assistant Director	PB-3	15600-39100	17	6600	L-16	
7	Junior Specialist	PB-3	15600-39100	17	6600	L-16	
8	C.M.H.O. (Other than specialist, Addl. C.M.H.O, Dy. Director, Dy Superintendent, Dy. Controller)	PB-3	15600-39100	20	7600	L-19	
9	Senior specialist	PB-3	15600-39100	20	7600	L-19	
10	Drug Controller	PB-3	15600-39100	20	7600	L-19	
11	Principal Chief Medical Officer / Principal Specialist / Additional Director	PB-4	37400-67000	22	8700	L-21	
12	Director	PB-4	37400-67000	24	10000	L-24	
	(ii) Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch)						
1	Senior Demonstrator	PB-3	15600-39100	15	5400	L-14	
2	Assistant Professor	PB-3	15600-39100	17	6600	L-16	
3	Associate Professor	PB-3	15600-39100	20	7600	L-19	
4	Professor	PB-4	37400-67000	22	8700	L-21	
5	Senior Professor	PB-4	37400-67000	24	10000	L-24	

S. No.	NAME OF THE POST	EXISTING				LEVEL IN PAY MATRIX	REMARKS
		PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY NO	GRADE PAY		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Automobile Engineer	PB-3	15600-39100	15	5400	L-14	
11	Assistant Director (Publicity)	PB-3	15600-39100	15	5400	L-14	
12	Assistant Director (Prosecution)	PB-3	15600-39100	16	6000	L-15	
	PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT						
	(I) Rajasthan Government Printing Presses Service						
1	Assistant Superintendent	PB-2	9300-34800	12	4200	L-11	
2	Superintendent	PB-2	9300-34800	14	4800	L-12	
3	Director	PB-3	15600-39100	20	7600	L-19	
	(II) Rajasthan Government Presses Subordinate Service						
Group 'F'							
1	Proof Reader Grade-II	PB-1	5200-20200	9A	2400	L-6	
2	Proof Reader Grade-I	PB-1	5200-20200	10	2800	L-8	
3	Head Proof Reader	PB-2	9300-34800	11	3600	L-10	
Group 'D'							
1	Computer	PB-1	5200-20200	9	2400	L-5	
2	Head Computer	PB-1	5200-20200	10	2800	L-8	
Group 'C'							
1	Binder	PB-1	5200-20200	3	1750	L-2	
2	Head Binder	PB-1	5200-20200	9	2400	L-5	
3	Binding Foreman	PB-1	5200-20200	10	2800	L-8	
Group 'B'							
1	Printer Grade-II	PB-1	5200-20200	9	2400	L-5	
2	Printer Grade-I	PB-1	5200-20200	10	2800	L-8	
3	Printing Foreman	PB-2	9300-34800	11	3600	L-10	
Group 'A'							
1	Compositor Grade-II	PB-1	5200-20200	9	2400	L-5	
2	Compositor Grade-I	PB-1	5200-20200	10	2800	L-8	
3	Composing Foreman	PB-2	9300-34800	11	3600	L-10	
4	General Foreman	PB-2	9300-34800	12	4200	L-11	The cadre of General Foreman and Assistant Superintendent shall be equivalant in rank and interchangeable. To this extent the relevant service rules shall stand modified. Formal amendment in the service rules will be issued separately
	PROSECUTION DEPARTMENT						
	(i) Rajasthan Prosecution Service						
1	Prosecution Officer	PB-2	9300-34800	14	4800	L-12	
2	Assistant Director	PB-3	15600-39100	16	6000	L-15	
3	Deputy Director	PB-3	15600-39100	19	7200	L-18	
4	Additional Director	PB-4	37400-67000	21	8200	L-20	
	(II) Rajasthan Prosecution Subordinate Service						
1	Assistant Prosecution Officer	PB-2	9300-34800	12	4200	L-11	
	RAJASTHAN CIVIL SERVICES APPELLATE TRIBUNAL						
1	Librarian	PB-2	9300-34800	12	4200	L-11	
	RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION						
1	Investigator (Statistical Assistant)	PB-2	9300-34800	11	3600	L-10	
2	Assistant Librarian	PB-2	9300-34800	11	3600	L-10	
3	Evaluation Officer	PB-2	9300-34800	14	4800	L-12	
4	Coordinating Officer	PB-2	9300-34800	14	4800	L-12	
5	Section Officer	PB-2	9300-34800	14	4800	L-12	
6	Sr. Librarian	PB-3	15600-39100	17	6600	L-16	

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ ।।

दिनांक : 01-03-2023

सेवा में,

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं राज्य वादकरण नीति, 2018 की अनुपालना में संयुक्त विधि परामर्शी के पद सृजित किये जाने बाबत्।

मान्यवर,

राज्य में वादकरण के सुगम संचालन हेतु एस0एल0पी0 सिविल ड़ायरी संख्या 4941/2018, **राजस्थान राज्य बनाम मनसुख दास में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.07.2018 (परिशिष्ट–'1')** पारित कर, वादकरण नीति बनाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमण्ड़ल आज्ञा कमांकः 31/2019, दिनांक 09.4.2019 (परिशिष्ट–'2') द्वारा राजस्थान वादकरण नीति, 2018 अनुमोदित कर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। (परिशिष्ट–'3')**

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य वादकरण नीति, 2018 के **अनुच्छेद 5.2 के प्रावधानानुसार राज्य के प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में, जहाँ न्यायिक प्रकरणों की संख्या 1000 से अधिक है, विधि सेवा का न्यूनतम संयुक्त विधि परामर्शी का पद होना अनिवार्य है। (परिशिष्ट–'4')**

न्याय विभाग द्वारा संचालित LITES की सूचना के अनुसार, दिनांक 27.02.2023 तक राज्य के 53 प्रशासनिक विभागों में कुल 1,79,722 न्यायिक प्रकरण लम्बित हैं, जिनमें से 29 विभाग ऐसे हैं, जिनमें 1,000 से अधिक न्यायिक प्रकरण लम्बित हैं। **(परिशिष्ट–'5')**

राज्य के निम्नलिखित 10 प्रशासनिक विभाग ऐसे हैं, जिनमें लम्बित न्यायिक प्रकरणों की संख्या 1,000 से अधिक है, किन्तु इनमें विधि सेवा का संयुक्त विधि परामर्शी अथवा वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी का अभी एक भी पद सृजित नहीं है :-

S.No.	Department	Pending Cases
1	Local Self Government Deptt., Secretariat, Jaipur.	16020
2	Panchayati Raj, Deptt., Secretariat, Jaipur.	8084
3	Higher Education Deptt., Secretariat, Jaipur.	4152
4	Women and Child Dev. Deptt., Secretariat, Jaipur.	1919
5	Medical Education Deptt., Secretariat, Jaipur.	1619
6	Ayurved Deptt., Secretariat, Jaipur.	1358
7	Animal Husbandry, Fisheries and Dairy Development Deptt., Secretariat, Jaipur.	1243
8	Labour and Employment Deptt., Secretariat, Jaipur.	1133

01/3/2023

9	Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Deptt., Secretariat, Jaipur.	1109
10	Rural Development Deptt., Secretariat, Jaipur.	1066

राज्य वादकरण नीति–2018, केबिनेट द्वारा पारित राजकीय दस्तावेज है, जो कि कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित है। इसके अनुच्छेद 5.2 में उल्लेखित अभिव्यक्ति **'The officer of Legal Service not below the rank of Joint Legal Remembrancer Shall be posted in the Administrative Department, where number of Court cases is more than 1000.'** में शब्द ***'Shall be'*** का प्रयोग किया गया है, अतः **विधायका द्वारा यह प्रावधान आज्ञापक रूप में प्रावधानित है। चूंकि विधायका द्वारा 1000 लंबित न्यायिक प्रकरणों पर, एक वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी अथवा संयुक्त विधि परामर्शी पदस्थापित किया जाना प्रावधानित किया गया है, अतः जिन विभागों में लंबित प्रकरणों की संख्या अत्यधिक है, ऐसे विभागों में एक से अधिक उक्त वरिष्ठ अधिकारीगण के पद सृजित होने चाहिए। इसीलिए विधि तथा वित्त विभाग में उक्त पदों की संख्या एक से अधिक हैं।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं राजस्थान राज्य वादकरण नीति, 2018 के उक्त प्रावधान की अनुपालना हेतु **प्रमुख शासन सचिव, विधि द्वारा परिपत्र कमांक प.22(3)न्याय/2019, दिनांक 19.09.2019 (परिशिष्ट–'6') एवं मुख्य सचिव, महोदय द्वारा परिपत्र, दिनांक 27.08.2020 (परिशिष्ट–'7') भी जारी किये गये हैं।**

उपरोक्त विभागों में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी मोनिटरिंग के लिए, राजस्थान राज्य वादकरण नीति–2018 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ के अनुरूप, संयुक्त विधि परामर्शी के पदों का सृजन नितान्त आवश्यक है।

हाल ही में वित्त विभाग द्वारा वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के 7 नवीन पद सृजित करते समय, एक हजार से अधिक लंबित न्यायिक प्रकरणों वाले विभागों में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त विधि परामर्शी के कुल उपलब्ध 57 पदों में से पदस्थापन किये जाने हेतु विधि विभाग को कहा गया था। वित्त विभाग के निर्देशानुसार विधि विभाग द्वारा ऐसे विभागों में किये गये पदस्थापन के उपरान्त भी, राज्य में अभी भी उक्त दस विभाग ऐसे हैं, जहॉ 1000 से अधिक न्यायिक प्रकरण लम्बित हैं, किन्तु उनमें वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी का कोई पद सृजित नहीं है।

अतः विनम्र निवेदन है कि राजस्थान राज्य बनाम मनसुख दास के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2018 एवं राजस्थान राज्य वादकरण नीति–2018 की अनुपालना में, उपरोक्त 10 विभागों में संयुक्त विधि परामर्शी का कम से कम एक–एक पद, सृजित कराने हेतु, प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करने की कृपा करें।

सादर ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

01/3/23

(जितेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष

परिशिष्ट-'1'

ITEM NO.26 COURT NO.4 SECTION XV

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) Diary No(s). 4941/2018

(Arising out of impugned final judgment and order dated 10-02-2017 in SAW No. 16/2016 passed by the High Court Of Judicature For Rajasthan At Jodhpur)

THE STATE OF RAJASTHAN Petitioner(s)

VERSUS

MAN SUKH DAS Respondent(s)

(IA No.31442/2018-CONDONATION OF DELAY IN FILING SLP and IA No.31446/2018-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.31452/2018-EXEMPTION FROM FILING O.T.)

Date : 03-07-2018 This matter was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE KURIAN JOSEPH
HON'BLE MR. JUSTICE SANJAY KISHAN KAUL

For Petitioner(s) Mr. S.S. Shamshery, AAG
Mr. Deepak Goel, Adv.
Mr. Ankit Raj, Adv.
Ms. Indira Bhakar, Adv.
Mr. Rohit K. Singh, AOR

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

On 16.3.2018, the Court passed the following Order:-

"This is a case where the appeal was dismissed on the ground of delay of 554 days. Further, in filing this special leave petition there is a delay of 273 days. There is no sufficient explanation for the delay.

Though we are not inclined to issue notice on the special leave petition, having regard to the public interest, we are of the view

that the State of Rajasthan should file an affidavit.

The Chief Secretary of the State of Rajasthan is directed to file an affidavit, within four weeks, on the following points:-

1. Whether there is any litigation policy in the State?
2. What is a mechanism for conduct of cases in the High Court and the Supreme Court?

List after four weeks."

The State has now filed an affidavit wherein it is indicated that there are some executive instructions with regard to the litigation policy. We feel that this may not be quite sufficient.

It is only in the interest of the State that they should have a comprehensive litigation policy in which they should also be able to have the liability fixed on the persons who cause the delay. Appropriate steps should also be taken to avoid unnecessary delay and such things should be reflected in the litigation policy.

We direct the State to frame such a policy codifying all the instructions issued and incorporating the safeguards, some of which we have indicated above, within a period of twelve weeks.

In the facts of this case, we do not find that this is a fit case to exercise our jurisdiction under Article 136 of the Constitution of India. The special leave petition is dismissed on the ground of delay.

A copy of the litigation policy framed may be placed for the perusal of this Court, after twelve weeks.

Pending application(s), if any, stand disposed of.

(DEEPAK MANSUKHANI)
AR CUM PS

(RENU DIWAN)
ASSISTANT REGISTRAR

परिशिष्ट - '2'

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

31 / 2019

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांकः प. 12(8)राज / वाद / 10 पार्ट दिनांक 01.04.2019 में अंकित राज्य की नवीन वादकरण नीति के निरूपण संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 04 अप्रैल, 2019 को सरक्यूलेशन के माध्यम से स्वीकृत करते हुए, ज्ञापन के संलग्न तत्संबंधी **Rajasthan State Litigation Policy, 2018** के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

(डी0 बी0 गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

डी. 31 / मं.मं. / 2019
जयपुर, दिनांकः09 अप्रैल, 2019

परिशिष्ट - '3'
306

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(08) राज/वाद/10 जयपुर दिनांकः 12-4-19

श्री प्रेमचन्द सांखला,
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रभारी अधिकारी),
माध्यमिक (विधि),राजस्थान, जोधपुर।

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका डायरी संख्या 4941/2018 राजस्थान राज्य बनाम मनसुख दास में पारित आदेश दिनांक 03.07.2018 के कम में नवीन राजकीय वादकरण नीति,2018 के प्रतिरूपण के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय वादकरण नीति,2018 की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त वादकरण नीति को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.18 की पालना में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

12/4/19
(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव,विधि

प्राप्त
12.4.19
(रमेश चन्द्र ...)
संस्थापन अधिकारी
कार्या. जि. शि. अ. (विधि) माध्य. जोधपुर
9413122212

परिशिष्ट - '4'

Government of Rajasthan

State Litigation Policy

2018

Law & Legal Affairs Department

have to play their respective part with utmost sincerity and commitment in effectively implementing this Policy.

5. LEGAL CELL

5.1 Administrative orders issued in day to day working are often challenged in Courts. To minimize such litigation, administrative orders need to be in conformity with the relevant Acts, Rules, Notifications and Judicial pronouncements. To advise the Administrative Departments instantly, on law points, officers from Legal Service shall be deployed in every department. The State shall endeavor to strengthen the legal cells in all departments by providing adequate infrastructure and deploying adequate number of officers of appropriate rank as per the need of the department, depending on the quantum and nature of the litigation.

5.2 The officer of Legal Service not below the rank of Joint Legal Remembrancer shall be posted in the Administrative Department, where number of Court cases is more than 1000. A Legal Cell, if so requires, comprising officer of Legal Service of appropriate rank shall be established at District level to ensure proper coordination between all the departments collectively and the Government Counsels. Moreover, another important function that these Legal Cells can also perform is to coordinate between different departments/ instrumentalities/concerned officers etc. for the litigation. Especially where different departments of districts or different districts authorities are impleaded in any matter, the Legal Cell can perform as a centralized coordination hub between Government Counsels and State instrumentalities, which will in turn result into speedy follow up and disposal of matters.

परिशिष्ट - 5

Government of Rajasthan

Justice Department

(Litigation Information Tracking & Evaluation System)

(from : 01-01-1947 to : 27-02-2023)

(As on 27-02-2023)

Administrative Deptt. Wise Evaluation Summary Report

S.No.	Administrative Deptt. Name	Pending Cases
a	b	c
1	Administrative Reforms and Co-ordination Department, Jaipur	84
2	Agriculture Department	2645
3	Animal Husbandry, Fisheries and Dairy Development Department, Jaipur	1243
4	Art, Culture and Archaeology Department, Jaipur	167
5	Ayurved Department, Jaipur	1358
6	Command Area Development, Jaipur	453
7	Co-operative Department, Jaipur	2953
8	Department of Child Rights	65
9	Department of Minority Affairs, Jaipur	500
10	Department of Personnel Jaipur	1222
11	Department of Sanskrit Education	570
12	Devasthan Department, Jaipur	885
13	Disaster Management and Relief Department, Jaipur	73
14	Election Department, Jaipur	78
15	Energy Department, Jaipur	17221
16	Environment Department, Jaipur	530
17	Finance Department, Jaipur	10761
18	Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Jaipur	1109
19	Forest Department, Jaipur	3671
20	General Administration Department (GAD) , Jaipur	201
21	Harish Chandra Mathur Rajasthan Institute of Public Administration, Jaipur	25
22	Higher Education Department, Jaipur	4152
23	Home Department, Jaipur	10749
24	Indira Gandhi Nahar Project Department	566
25	Industries Department, Jaipur	4025
26	Information and Public Relations Department, Jaipur	55
27	Information Technology and Communication Department , Jaipur	150
28	Jaipur Development Authority	10764
29	Labour and Employment Department, Jaipur	1133
30	Law and Legal Affairs Department, Jaipur	266
31	Local self Government Department, Jaipur	16020
32	Medical and Health Department, Jaipur	10592
33	Medical Education Department, Jaipur	1619
34	Mines and Petroleum Department, Jaipur	4357
35	Panchayati Raj Department, Jaipur	8084
36	Planning Department, Jaipur	134
37	Public Health Engineering Department, Jaipur	3567
38	Public Works Department, Jaipur	3660
39	Rajasthan Public Service Commission	3103
40	Rajasthan State Road Transport Corporation (R.S.R.T.C.)	2552
41	Revenue Department, Jaipur	13328

42	Rural Development Department, Jaipur	1066
43	School Education Department, Jaipur	14359
44	Science & Technology Department, Jaipur	22
45	Social Justice and Empowerment Department, Jaipur	869
46	Technical Education Department, Jaipur	520
47	Tourism Department, Jaipur	290
48	Transport Department, Jaipur	842
49	Tribal Area Development Department	79
50	Urban Development and Housing Department, Jaipur	11415
51	Water Resources Department, Jaipur	3584
52	Women and Child Development Department, Jaipur	1919
53	Youth Affairs and Sports Department, Jaipur	67
Total		179722

परिशिष्ट - '6'

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प 22(3)न्याय / 2019

जयपुर, दिनांक 19 9 19

:: परिपत्र ::

सभी विभागो मे विभिन्न न्यायालयो में विचाराधीन प्रकरणो की प्रभावी मोनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभागो मे विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की नियमित समीक्षा एवं मानिटरिंग के लिए प्रकरणो की संख्या के अनुरूप निर्धारित मापदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य वादकरण नीति–2018 के अनुसार सभी विभागों में विधि प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया है। राजस्थान राज्य वादकरण नीति–2018 के तहत निम्नानुसार अभिशंसा की गई है:–

"The officer of Legal Service not below the rank of Joint Legal Remembrancer shall be posted in the Administrative Department, where number of Court cases is more than 1000. A Legal Cell, if so requires, comprising officer of Legal Service of appropriate rank shall be established at District level to ensure proper coordination between all the departments collectively and the Government Counsel. Moreover, another important function that these Legal Cells can also perform is to coordinate between different departments/ instrumentalities/concerned officers etc. for the litigation. Especially where different departments of districts or different districts authorities are impleaded in any matter, the Legal Cell can perform as a centralized coordination hub between Government Counsels and State instrumentalities, which will in turn result into speedy follow up and disposal of matters."

उक्त निर्णय के अनुसार जिन विभागो मे 1000 से अधिक प्रकरण विभिन्न न्यायालयो मे लम्बित है, वहा विधि प्रकोष्ठ स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ राजस्थान विधि सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी एव अन्य पदो के पुनर्गठन / सृजन के सबंध में पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव इस विभाग को भिजवाए ताकि नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

19.9.19

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर / समस्त निदेशक / समस्त विभाग
3. प्रोग्रामर, विधि एव विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD JCLS\VINOD EAIRWAL\ORDER 2018.docx

परिशिष्ट - '7'

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

315 314

क्रमांक: प.22(3)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक 27.8.2020

:: परिपत्र ::

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. सिविल डायरी संख्या 4941/2018 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मनसुख दास में दिनांक 03.07.2018 को आदेश पारित किया गया। इस निर्णय की पालना में राजस्थान राज्य वादकरण नीति–2018 लागू की गई तथा सभी विभागों में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी मोनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभागों में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की नियमित समीक्षा एवं मोनिटरिंग के लिए प्रकरणों की संख्या के अनुरूप निर्धारित मापदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य वादकरण नीति–2018 के अनुसार सभी विभागों में विधि प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया है। राजस्थान राज्य वादकरण नीति–2018 के तहत निम्नानुसार अभिशंसा की गई है:–

"The officer of Legal Service not below the rank of Joint Legal Remembrancer shall be posted in the Administrative Department, where number of Court cases is more than 1000. A Legal Cell, if so requires, comprising officer of Legal Service of appropriate rank shall be established at District level to ensure proper coordination between all the departments collectively and the Government Counsel. Moreover, another important function that these Legal Cells can also perform is to coordinate between different departments/ instrumentalities/concerned officers etc. for the litigation. Especially where different departments of districts or different districts authorities are impleaded in any matter, the Legal Cell can perform as a centralized coordination hub between Government Counsels and State Instrumentalities, which will in turn result into speedy follow up and disposal of matters.".

राजस्थान राज्य वादकरण नीति–2018 के अनुसार सभी विभागों में विधि प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.09.2019 द्वारा राजस्थान विधि सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी एवं अन्य पदों के पुनर्गठन/सृजन के संबंध में पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव चाहे गए थे, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः उक्त निर्णय के अनुसार जिन विभागों में 1000 से अधिक प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है, वहां विधि प्रकोष्ठ स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ राजस्थान विधि सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी एवं अन्य पदों के पुनर्गठन/सृजन के संबंध में पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव इस विभाग को 2 माह की अवधि में अवश्यक ही भिजवाए ताकि नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

(राजीव स्वरूप)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/समस्त निदेशक/समस्त विभाग
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

27.8.2020

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(7)न्याय/17 जयपुर, दिनांक 08-03-2023

अध्यक्ष,
राजस्थान विधि सेवा परिषद
जयपुर।

विषयः–परिचय पत्र बनवाये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र दिनांक 03.01.2023 के संदर्भ में लेख है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारी/कर्मचारीगण का परिचय पत्र में निम्नानुसार बिन्दु शामिल कर प्रस्तुत करेः–

1. नामः–
2. पिता/पति का नामः–
3. सेवाः–
4. पदः–
5. पताः–
6. ब्लड़ ग्रुपः–
7. मोबाईल नं.
8. जन्म दिनांकः–
9. कार्यग्रहण दिनांक
10. वैधता दिनांकः–

उक्त परिचय पत्र की वैधता सेवानिवृति की दिनांक तक होनी चाहिए तथा क्रम संख्या–3 पर अंकित पद के सम्मुख R.L.S. अंकित किया जावे जिससे पदोन्नति होने पर परिचय पत्र को परिवर्तित करने की आवश्यकता ना पड़े। कार्मिक की सेवानिवृति पर परिचय पत्र विभाग में जमा करवाकर अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाएगा। परिचय पत्र परिषद द्वारा बनवाकर विधि विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे। संयुक्त शासन सचिव, विधि के हस्ताक्षर नमूना (डिजिटल हस्ताक्षर हेतु) एवं परिचय पत्र हेतु संबंधित कार्मिकों से प्राप्त आवेदन पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। उक्त परिचय पत्र को बनवाने एवं खर्चे की जिम्मेदारी परिषद द्वारा वहन की जाएगी।

संलग्नः–यथोक्त।

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(7)न्याय/17 जयपुर, दिनांक 14 MAR 2023

अध्यक्ष,
राजस्थान विधि सेवा परिषद
जयपुर।

विषयः–परिचय पत्र बनवाये जाने के संबंध में।

संदर्भः–इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.03.2023 के अतिक्रमण में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र दिनांक 03.01.2023 के संदर्भ में लेख है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारी/कर्मचारीगण का परिचय पत्र में निम्नानुसार बिन्दु शामिल कर प्रस्तुत करेः–

1. नामः–
2. पिता/पति का नामः–
3. सेवाः–
4. पदः–
5. पताः–
6. ब्लड ग्रुपः–
7. मोबाईल नं.
8. जन्म दिनांकः–
9. कार्यग्रहण दिनांक
10. वैधता दिनांकः–
11. परिचय पत्र में Serial Number भी अंकित करावें जो कि भविष्य में परिवर्तित नहीं होगा।

उक्त परिचय पत्र की वैधता सेवानिवृति की दिनांक तक होनी चाहिए तथा क्रम संख्या–4 पर अंकित पद के सम्मुख R.L.S. अंकित किया जावे जिससे पदोन्नति होने पर परिचय पत्र को परिवर्तित करने की आवश्यकता ना पड़े। कार्मिक की सेवानिवृति पर परिचय पत्र विभाग में जमा करवाकर अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाएगा। परिचय पत्र बनवाने से पूर्व परिचय पत्र का नमूना (फॉरमेट) विभाग से अनुमोदित करवाएंगे। परिषद द्वारा परिचय पत्र बनवाकर बनवाकर विधि विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे। संयुक्त शासन सचिव, विधि के हस्ताक्षर पश्चात् उक्त परिचय पत्र विभाग द्वारा ही संबंधित कार्मिकों को वितरीत किये जाएंगे। उक्त परिचय पत्र को बनवाने एवं खर्चे की जिम्मेदारी परिषद द्वारा वहन की जाएगी। परिचय पत्र हेतु संबंधित कार्मिकों से प्राप्त आवेदन पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। उक्त परिचय पत्र को बनवाने एवं खर्चे की जिम्मेदारी परिषद द्वारा वहन की जाएगी।

संलग्नः–यथोक्त।

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA 2022-23\LETTTER-2022.docx